न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:– 04/2021
दायर दिनांक:– 25.02.2021
निर्णय दिनांक:– 24.03.2021

उनवान

1. पुष्करनाथ पिता प्रभुनाथ जी जाति नाथ निवासी–बुल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. कानसिंह पिता जयसिंह जाति राजपूत निवासी–बुल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. गणेशनाथ पिता नानानाथ जाति नाथ निवासी–बुल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. विजेश्वरनाथ पिता नानानाथ जाति नाथ निवासी बुल तहसील भूपालसागर जिलाचित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:निर्णय:–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार–बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बूल पटवार हल्का बूल तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 777 व 778 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.26 14:19:47 IST
Reason: SelfAttested

24.03.2021
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

C:\Users\Administrator\Desktop\disicion case\128\निर्णय\4-2021.docx

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

क्रमांक/राजस्व/2021/प.(04–2021)/126 दिनांक :– 24·03·2021

निमित,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :– बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. पुष्करनाथ पिता प्रभुनाथ जी जाति नाथ निवासी–बुल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. कानसिंह पिता जयसिंह जाति राजपूत निवासी–बुल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. गणेशनाथ पिता नानानाथ जी जाति नाथ निवासी–बुल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. विजेश्वरनाथ पिता नानानाथ जी जाति नाथ निवासी–बुल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :– 04/2021

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::–

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/– रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम बूल पटवार हल्का बूल तहसील भूपालसागर में स्थित आराजी संख्या 777 व 778 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 है0 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.26 14:19:47 IST
Reason: SelfAttested

24·03·2021
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

\निर्णय\4-2021.docx

Scanned with CamScanner